पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

(17)

C-PB 15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. /04 पुनरीक्षण R-1367-I/2004

1367-I/2004

मुकेश भार्गव एडवोकेट 20/10/04

20 OCT 2003

1. भगवानदास पुत्र प्रताप लोधी
2. मलखान पुत्र प्रताप लोधी
3. बारो बेवा प्रताप लोधी
4. पाना पुत्री प्रताप लोधी

समस्त निवासी ग्राम जराय, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

..अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1. भैयालाल पुत्र चतुरा लोधी
2. सूरत सिंह पुत्र चतुरा लोधी
3. कौसिया बेवा चतुरा लोधी
4. गौमा पुत्री चतुरा लोधी
5. सखी पुत्री चतुरा लोधी
6. देवा पुत्री चतुरा लोधी
7. रमेश पुत्र कमल सिंह नाबालिग सरपरस्त माँ सुखवती बेवा कमल सिंह
8. सुखवती बेवा कमल सिंह लोधी

समस्त निवासीगण ग्राम जराय, तह. पिछोर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

... प्रत्यर्थीगण

मुकेश भार्गव -10-04 एडवोकेट ग्वालियर

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 126/01-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 9.3.04 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1367–एक/04 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-3-17	आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदकगण के अभिभाषक ने प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 126/अपील/01–02 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2004 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल आदेश पारित किया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया । पटवारी द्वारा फर्द तहसील कार्यालय में बैठकर बनाकर प्रस्तुत कर दी, जबकि पटवारी ग्राम मौके पर जाकर पक्षकारों की उपस्थिति में कब्जे तथा किस्म के अनुसार बंटवारा फर्द बनाई जाना थी, लेकिन पटवारी द्वारा बटवारा प्रक्रिया से हटकर तहसील में बैठकर कागजी बटवारा बनाकर प्रस्तुत कर दिया । फर्द बटवारा पर आपत्ति प्रस्तुत करने के बावजूद	

उनका सही ढंग से निराकरण न कर शीघ्रता से आदेश पारित करने में तहसील न्यायालय ने वैधानिक त्रुटि की थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया है, जो कि त्रुटिपूर्ण आदेश है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये, निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 07.09.2000 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि " मात्र एक व्यक्ति के फौत होने से अनावेदकगण को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। मृतक के स्वत्व की भूमि जो उसे बटवारें में मिलती है, वह उसके वारिसान को बटवारे में प्राप्त होगी, जब तक उसके स्थान पर नामांतरण नहीं हो जाता, परमा के नाम पर ही रहेगी। " अनुविभागीय अधिकारी ने भी अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मृतक के स्वत्व की भूमि मृतक के नाम पर ही रहेगी । जब उसके वारिसान तय हो जावेगें तब उसकी भूमि वारिसान को अंतरित होगी। तहसील न्यायालय के इस आदेश का सूक्ष्मता से परीक्षण करने पर यह विदित होता है कि तहसीलदार ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया है, बल्कि मृतक व्यक्ति के वारिसों के हितों की रक्षा की है। यदि परमा जीवित होता तो उसको, उसके हिस्से की भूमि अवश्य मिलती । उसके फौत होने से उसके स्वत्व उसके वारिसों का निर्धारण होने के बाद अंतरित हो जावेंगे। प्रकरण में परमा की मृत्यु के संबंध में भी कोई दस्तावेजी

प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रकट हो सके कि उसकी मृत्यु कब हुई है। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है और उन्हें बगैर कोई सूचना दिये फर्द बटवारा बुलाया गया । आवेदकगण का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा विधिवत इश्तहार जारी किया जाकर आपत्तियां आहूत की गई थी। दिनांक 29.09.2000, 05.10.2000 एवं 10.10.2000 आदि तारीखें फर्द बटवारा प्रस्तुत करने हेतु नियत रही है और इन दिनांकों में उभयपक्ष के अभिभाषकगण उपस्थित रहें है। आवेदकगण द्वारा यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि पटवारी द्वारा तहसील कार्यालय में बैठकर फर्द बनाई गई है एवं मौके पर पक्षकारों की उपस्थिति में कब्जे तथा किस्म के अनुसार फर्द नहीं बनाई गई है। इस संबंध में कोई ठोस आधार तहसील न्यायालय में आवेदकगण/आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहसीलदार के आदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि जो आपत्तियां सत्य पाई गई है, उनपर विचारोपरांत तहसीलदार ने फर्द बटवारा में संशोधन भी किया है।

5/ प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख के सम्पूर्ण परीक्षण से यह पाया जाता है कि तहसीलदार का आदेश विधिक प्रक्रिया के अनुसार है और उसे स्थिर रखकर अनुविभागीय अधिकारी ने उचित निर्णय लिया है। जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा अपने विस्तृत आदेश में की है।

6/ अतएव उपरोक्त विवेचना के फलस्वरूप

आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी ठोस आधार के अभाव में निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का आदेश विधिसंगत है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2004 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो । प्रकरण समाप्त होकर, दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य